

संख्या: पर्स/9/6/डेपु./राजभाषा/2019
दिनांक: 06.03.2020

Vacancy circular No. 19/20 (D)

1. महाप्रबंधक(का), सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां, आरडीएसओ
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी रेलवे एवं अन्य मंत्रालयों के उपक्रम

प्रिय महोदय,

विषय:- चेन्नै एवं भुवनेश्वर में प्रतिनियुक्ति आधार पर कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) के पद भरे जाने के संबंध में.

राइट्स के निरीक्षण कार्यालय, चेन्नै तथा परियोजना कार्यालय, भुवनेश्वर में कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) के पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने के लिए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों (गुप सी अधिकारी - जो 7वे वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स लेवल 6 में कार्यरत हैं) की आवश्यकता है। उपर्युक्त पद के लिए कार्य जॉब विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में दिया गया है।

अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर उपरोक्त पद के लिए रिक्ति नोटिस को अपनी संस्था में परिपत्रित करवाया जाए तथा उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों की संस्तुति जल्द से जल्द, लेकिन इस पत्र की तारीख से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में भेज दी जाए.

अनुरोध है कि इस रिक्ति नोटिस को अपनी संस्था की वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दिया जाए तथा इसका समुचित प्रचार किया जाए.

धन्यवाद,

आपका,



(गौरव पुरी)

वरि. उप. महाप्रबंधक (एचआर)

प्रतिलिपि:-

महाप्रबंधक(आईटी)- कैरियर सेक्शन में राइट्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संलग्न.

1.	संगठन/Organization	राइट्स / RITES
2.	पद का नाम/Nomenclature of the post	कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)/ Jr. Manager (Rajbhasha)
3.	रिक्तियों की सं./No. of vacancies	02 (1- चेन्नै एवं 1- भुवनेश्वर) 02 (1- Chennai and 1- Bhubaneswar)
4.	स्थान और कार्यकाल. Location and tenure	चेन्नै एवं भुवनेश्वर / 5 वर्ष
5.	पद के वेतन का वेतनमान. Scale of Pay of the post	7वां सीपीसी वेतन मेट्रिक्स लेवल 6 (7 th CPC level -6) मूल वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता /Parent Pay plus Deputation Allowance
6.	क्या प्रस्ताव/सूचना पहली बार भेजा जा रहा है/ भेजी जा रही है. Whether the proposal/reference is being made for the first time	नहीं/No
7.	यदि नहीं तो पिछले संदर्भ संख्या और विवरण जिसमें उसके निष्कर्ष का भी उल्लेख करें, यदि कोई हो/If not previous reference No. and the details duly indicating the outcome thereof, if any.	This office Vacancy circular No. 43/19 (D) dated 26.11.2019 for 2 posts. No response has been received.
8.	अपेक्षित आयु, विषय (डिसिप्लिन) आदि सहित विस्तृत कार्य विवरण Detailed job description indicating age requirement discipline etc.	कर्मचारी अंग्रेजी से हिंदी तथा विलोमतः अनुवाद करने में सक्षम हो तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की जानकारी रखता हो. कर्मचारी कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में दक्ष हो. न्यूनतम कार्य अनुभव 03 वर्ष कर्मचारी की आयु आबेदन की तिथि तक 56 वर्ष होनी चाहिए.
9.	आवेदन का तरीका/Mode of application	1. आवेदक को राइट्स की वेबसाइट http://www.rites.com के कैरियर सेक्शन में दिए गए पंजीकरण प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) करने पर सिस्टम आवेदक द्वारा भरे गए फार्म के शीर्ष पर रजिस्ट्रेशन नं. प्रदर्शित करेगा. ऑनलाइन भरे गए इस आवेदन प्रपत्र की प्रति, जिस पर पंजीकरण संख्या भी अंकित हो प्रिंट करने के पश्चात इस पर हस्ताक्षर करके अग्रिम प्रति (यदि कोई हो) के साथ संलग्न करें तथा इसकी एक प्रति रेलवे / संस्था के माध्यम से अग्रेषित करवाकर भेजी जाए. 2. आवेदन संबंधित प्रशासनिक (रेलवे / संस्था) के माध्यम से भेजे जाएं. जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र, सतर्कता/डीएआर अनापत्ति तथा पिछले 05 वर्षों की एपीएआर की प्रतियां संलग्न हों. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में अपना जीवन-वृत्त (सीवी) भेजना भी आवश्यक है.

10.	<p>क्या कंपनी/संगठन को स्थाई आमेसन के नियम से छूट दी गई है और यदि हां, तो किस तिथि तक छूट मान्य है.</p> <p>Whether the company /organisation has been exempted from the rule of permanent absorption and if so, the date upto which the exemption is valid</p>	<p>रेल मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 2008/पीएल/45/4 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा राइट्स में तत्काल आमेसन के नियम से 31.08.2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट देते हुए रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है.</p> <p>The Ministry of Railways has conveyed their approval for continuance of Railway Officers on deputation on exemption from the rule of immediate absorption to RITES for a period of three years w.e.f. 31.08.2017 vide their letter No. 2008/PL/45/4, dated 09.08.2017.</p>
11.	<p>यदि कंपनी द्वारा किसी अधिकारी विशेष के नाम की संस्तुति की जाती है तो उनकी लिखित सम्मति संलग्न की जाए .</p> <p>Wherever name of a certain officer is recommended by the company. His written willingness should be enclosed.</p>	वितरण के लिए / For circulation
12.	राइट्स द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों को कंपनी/लीज आवास उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा/RITES will be providing Company/Leased Accommodation as per entitlement to the officer who joins RITES on deputation.	
13.	घयन का तरीका/Mode of selection	<p>आवेदनों की निम्नलिखित पैरामीटर के 100 प्वाइंट स्केल के आधार पर जांच की जाएगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शैक्षिक योग्यता, सीवी का मूल्यांकन, सेवा की अवधि (25 अंक) 2. पिछला कार्य अनुभव और डोमेन अनुभव (25 अंक) 3. एपीएआर, डी एंड एआर और सतर्कता रिकॉर्ड (25 अंक) 4. आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवार की समय क्षमता/उपयुक्तता (25 अंक) <p>Applications will be scrutinized on the basis of the following parameters on a 100 point scale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Educational Qualification, evaluation of CV, length of service (25 marks) 2. Previous Work Experiences and Domain Knowledge (25 marks) 3. APRs, D&AR and Vigilance record (25 marks) 4. Potential/Overall Suitability of the candidate to requirements (25 marks)
14.	पर्स एवं सुविधाएं/Perks and facilities	अनुलग्नक III के अनुसार पर्स एवं सुविधाएं. Perks and facilities as per Annexure III.

गौरव पुरी

(गौरव पुरी)

वरि. उप. महाप्रबंधक (एचआर)

APPLICATION IN PRESCRIBED PROFORMA

Vacancy Notice and date	Vacancy circular No. 19/20 (D) Dated 06-03-2020
Post against which application has been submitted	कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), भुवनेश्वर एवं चेन्नै
Mode of appointment	Deputation
Choice of station (wherever applicable)	

PERSONAL DATA

1	Name	:	
2	Gender	:	
3	Service	:	
4	Department	:	
5	Category	:	
6	Date of Birth	:	
7	DITS (Date of entry into Time Scale)	:	
8	Present Pay Band with Grade Pay and basic pay as on date of application	:	
9	Present Designation & Railway	:	
10	Contact Details	:	
a.	Email ID	:	
b.	Telephone (O)	:	
c.	Telephone (R)	:	
d.	Mobile Number	:	
e.	Complete address of HOD for correspondence	:	

11. EDUCATIONAL QUALIFICATION

SN	Qualification/Degree	Year	Division	Institution/University, Place/Country

12. EXPERIENCE DETAILS

SN	Designation & Railway with place of posting	Grade (i.e. Gr. B/SS/JAG/SG/SAG)	From	To

13	Details of previous deputation/Foreign assignment	:	
14	Whether debarred from deputation? If yes, please furnish details	:	
15	Whether cooling off period completed? If yes, date of return from previous deputation with details, wherever applicable	:	

I certify that the details furnished by me are true and I am eligible for the post as per the criteria laid down in the vacancy circular.

Name and Signature

Place

Date

Perks and Allowances for SAG/SG/JAG/SS and below level officer on deputation to RITES

SN	Perks/Allowance	Amount
1	Expert/Professional Allowance	15% Basic Pay for JGM to GM 12% Basic Pay for Sr.DGM and below
2	Medical Outdoor/indoor	The Railway Officer can opt for medical facilities under the Railways or the medical facilities admissible under RITES Rules. Medical facilities under RITES rules are: Rs. 1667/- PM / Rs. 20,000 per year Reimbursement upto 0.7 times of basic pay (Claim basis) or Rs.35,000/- whichever is more for prolonged illness as per Mediclaim policy for Indoor Medical treatment
3	Reimbursement of charges in lieu of TADK	Rs.11,700/- PM for GM/AGM
4	Reimbursement of furnishing items on submission of bills	Rs.70,000/- PA for GM Rs.50,000/- PA for DGM to AGM Rs.30,000/- PA for below DGM
5	Entertainment Allowance	Rs.5000/- PM for GM Rs.3000/- PM for AGM Rs.1500/- PM for JGM
6	Reimbursement on purchase of Mobile phone	<u>Cost of cell phone handset (once in every 3 years)</u>
7	Brief Case	Once in 03 years
8	Newspaper Allowance	As per entitlement
9	Reimbursement/Membership	One membership for national and one international professional body upto an amount of: Rs.20,000/- PA for JGM to GM Rs.15,000/- PA for Sr.DGM & below
10	Birthday gift/Diwali gift/Annual day gift	As per Company policy